

प्रेषक

महानिदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. महानिदेशक,  
उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकुला
2. महानिदेशक,  
तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा  
सैक्टर-4, पंचकुला
3. निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा विभाग, हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकुला
4. महानिदेशक,  
आईटीआई विभाग, 30 वेज बिस्किंग,  
सैक्टर-17, चण्डीगढ़
5. महानिदेशक,  
घिकिल्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा  
पर्यटन भवन, सैक्टर-2, पंचकुला
6. महानिदेशक,  
मौलिक शिक्षा विभाग,  
हरियाणा, पंचकुला।
7. रजिस्ट्रार  
कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

28885  
23/6/15

HITB  
22 JUN 2015  
Diary No.

28885  
23/6/15

कमांक/4069-75/अ0स0क0/एस0जे0ई0/2015  
चण्डीगढ़, दिनांक 16/6/15

विषय:- प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्त स्कीम से सम्बन्धित हिदायतें भेजने  
बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको विभाग द्वारा पहले ही प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्त स्कीम के  
वर्ष 2015-16 में आवेदन के लिये विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन का मसौदा भिजाया गया  
था (प्रति संलग्न)। अब पुनः सम्बन्धित विभागों को भेजते हुये अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ  
सभी जिला अध्यक्षों/शिक्षण संस्थानों/सरकारी/गैर सरकारी/अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा  
स्कूलों को निर्देश जारी करें कि समय अवधि के दौरान ही छात्रों से आनलाइन आवेदन दस्तावेजों सहित  
करवाये।

यह भी लिखा जाता है कि जो स्कूल/शिक्षण संस्थान [www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) पर  
रजिस्ट्रड नहीं है वह अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करवायेगा तथा जो स्कूल रजिस्ट्रड हो चुके हैं उनके नोडल  
अधिकारियों के मोबाईल नं०/ई-मेल आईडी/नाम/ स्कूल का नाम तथा जिले का नाम एक प्रोफार्मा में  
भरकर विभाग की वेबसाईट पर साफ्टकापी भिजवाये। ताकि यूजर आईडी/पासवर्ड उन द्वारा उपलब्ध  
करवाये गये मोबाईल नं० तथा ई-मेल पर उपलब्ध करवाई जा सके। जिससे छात्रों, स्कूलों, शिक्षण  
संस्थानों की पहचान/वैरीफिकेशन उपरान्त इन आवेदनों को अपनी सिफारिश सहित भारत सरकार को  
विभाग द्वारा भिजवाये जा सके।

यह भी लिखा जाता है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्त स्कीम का  
पोर्टल शुरू हो चुका है। सभी शिक्षण संस्थान के मुख्य अपने स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थान  
सरकारी/गैर सरकारी तथा अनुदान प्राप्त कर रहे हैं शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे  
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से आनलाइन आवेदन करवाये। अधिक जानकारी के लिये  
[www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in) पर देखें।

संलग्न: 2 प्रतियां  
23/6/15 तथ  
प्रो.सू.

संयुक्त निदेशक (अ0र10क0)  
कृते: महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

C:\Users\6lsybq1\Desktop\Draft.docx

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

- पू0क0 टी-4/पी.एम.एस/अल्पसंख्यक समुदाय/2015-16/ 1177 दिनांक: 29/6/2015
- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़। उनके पत्र कमांक 14069-75 व  
14078-84/ अ0स0क0/एस0जे0ई0/2015 दिनांक 16.6.2015 के संदर्भ में।
  2. सभी राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) के मुखियों को  
भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2015-16 में होने वाले दाखिले के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के जो  
छात्र/छात्रा संस्थान में दाखिला ले, उनको उक्त विभाग के द्वारा भेजी गई हिदायतों के मापदण्ड अनुसार सभी  
दस्तावेज भेक करके पोस्ट मैट्रिक रिकोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र निर्धारित की गई तिथि  
1.6.2015 से 15.9.2015 तक ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्रों के प्रिंट की  
प्रति/पूर्ण दस्तावेजों सहित सत्यापित करने उक्त विभाग को समय पर भिजवाना भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यवाही  
में यदि किसी संस्थान का प्रधानाचार्य/मुखिया कोताही करता है तो उस द्वारा की गई अनियमितता के लिए वह  
निदेशालय द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
  3. जिला स्तर के सभी प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, भोडियाखेडा  
(फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, बहादुरगढ़ (अज्जर), जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, गहेन्द्रगढ़, फिरोजपुर शिरका  
(मेवात), पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, शिरसा, सोनीपत तथा यमनामगढ़। निर्देश दिये जाने हैं कि वर्ष